2024/126

फर्द अहकाम

(नियम- 13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डीडवाना

[illegible] बनाम तहसीलदार डीडवाना

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र u/s 111 RLR Act सं. ... सन् 49/2024

व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
/2024	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ... के विरुद्ध अ./धारा 111 RLR Act ... दर्ज हो। अप्रार्थीगण को ... मिसल दिनांक 26/4/2024 को पेश हो। vikas सहायक कलक्टर डीडवाना।	
	26/4/24 पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा. अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है। मिसल दिनांक 16/5/24 को पेश हो।	
	16/5/24 पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा. अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है। ... दिनांक 28/5/24 को पेश हो।	
	28/5/24 पत्रावली पेश हुई। ... अदालती कार्य ... मिसल दिनांक 11/6/24 को पेश हो।	
	11/6/24 पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा. अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है। मिसल दिनांक 11/7/24 को पेश हो।	
	11/7/2024 पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार उपस्थित। तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक 1997 दिनांक 3.7.2024 के साथ तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई है ... बहस सुनी गई व रेकार्ड का अवलोकन ... प्रार्थना का प्रार्थी स्वीकार किया ... प्रकार शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:48:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 49/2024 दायर दिनॉंक 28.03.2024

वादी

1. उम्मेददान पुत्र रिडमलदान जाति चारण निवासी ढिगारिया तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज0।

बनाम्

प्रतिवादी

1. तहसीलदार डीडवाना।
2. उच्छव कंवर पत्नी रिडमलदान
3. इन्द्रकंवर पुत्री रिडमलदान पत्नी गजेन्द्रदान सिंह
4. चान्द कंवर पुत्री रिडमलदान पत्नी जीवराज सिंह समस्त जाति चारण निवासीगण ढिगारिया तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज0।

दावा बाबत्

सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 111

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम व स्थायी निषेधाज्ञा

1. श्री अजीत सिंह राठौड़ वकील प्रार्थी।
2. श्री वी0 पी0 सिंह वकील अप्रार्थी सं0 2 ता 4।

–:: निर्णय ::–

दिनॉंक 11.07.2024

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि सरहद ढिगारिया, पटवार हल्का खोजास खेत खसरा सं0 217/17 रकबा 3.4550 हैक्टे0 भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 के कब्जे काश्त व खातेदारी की है। खतौनी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद के साथ पेश है।

यह है कि वादी के खेत खसरा सं0 217/17 के चिपता ही दक्षिण में एक कटाणी रास्ता पूर्व से पश्चिम खसरा सं0 30 रकबा 0.5100 हैक्टे0 राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। खसरा सं0 30 की खतौनी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद के साथ पेश है।

यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कटाणी रास्ते पर नरेगा द्वारा कार्य प्रस्तावित था, जिसकी जानकारी होने पर वादी ने सरपंच ग्राम पंचायत खोजास को लिखित में आवेदन देकर निवेदन किया कि राजस्व रेकर्ड में दर्ज रास्ते पर ही नाप व सीमाज्ञान करवा कर नरेगा कार्य प्रारम्भ किया जावें। वादी ने तहसीलदार डीडवाना को भी लिखित में निवेदन किया कि जहा कटाणी रास्ता राजस्व रिकर्ड नक्शे में दर्ज है वही सीमाज्ञान करवा कर ही निर्माण कराया जावें। आवेदनों की नकल वाद के साथ पेश है।

यह है कि वादी के आवेदनों पर ही तहसीलदार ने राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर वादी की खातेदारी की भूमि खेत खसरा सं0 217/17 व रास्ते के खसरा सं0 30 का नाप करने पर पूर्व के सीमांकन में थे तथा सामने आया कि मौका पर मौजुद मुस्तकिन बिन्दुओं का मौजुदा नक्शा से मेल नही खा रहा है, अतः चूंकि उक्त नक्शे का रेखांकन भूप्रबन्ध विभाग द्वारा ही सही सही नाप किया जाना सम्भव है।

यह है कि वादी की खातेदारी का खेत खसरा सं0 217/17 के चिपते ही खसरा सं0 30 रकबा 0.5100 हैक्टे0 भूमि रास्ते की है, जिस रास्ते की चौड़ाई केवल मात्र दो गट्टा ही है। फिर भी राजनैतिक द्वैषता के कारण वादी की भूमि में बिना किसी नाप–चौक सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी किये ही निर्माण करने को आमादा है है। इसलिए भी वादी को उक्त वाद करना लाजमी आया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:48:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना वादी इस प्रकार है :–

यह है कि वादी के खेत खसरा सं0 217/17 रकबा 3.4550 हैक्टे0 भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी की जाने का आदेश प्रदान करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया। तहसीलदार डीडवाना के पत्र 3163 दिनांक 03.07.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे सामिल मिसल किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 ता 4 की सारगर्भित बहस सुनी गयी। प्रार्थी उपस्थित। पक्षकार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने हेतु निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

सरहद ढिगारिया तहसील डीडवाना के आराजी खसरा सं0 217/17 की पत्थरगढ़ी करवाने की प्रार्थी इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार डीडवाना द्वारा दिनांक 29.06.2024 को उक्त भूमि का सीमाज्ञान किया है जिसकी फर्द प्रति संलग्न है। प्रार्थी प्रश्नगत भूमि का रेकॉर्डेड खातेदार है व सीमाज्ञान फर्द के अनुसार किसी प्रकार का विवाद होना नहीं पाया जाता है। रेकॉर्डेड खातेदार होने के कारण प्रार्थी पत्थरगढ़ी करवाने का कानूनन अधिकारी है। उपयुक्तानुसार प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः बाद विवेचन, प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

आदेश 111 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् हस्तगत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर, तहसीलदार डीडवाना को आदेशित किया जाता है कि, प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा करवाने पर, सरहद ढिगारिया पटवार हल्का खोजास के खेत खसरा सं0 217/17 रकबा 3.4550 हैक्टे0 में पत्थर गढी की कार्यवाही सम्पादित करे।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 11.07.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:48:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner